

प्रेषक,

रामजी सिंह (बि.प्र.से),
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्य)
भूमि संक्षण, मुख्यालय,
बिहार, पटना।

विषय : केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP- 2012-13 (Batch-IV), IWMP- 2013-14 (Batch-V) एवं IWMP- 2014-15 (Batch-VI) में कुल 611.38 करोड़ रु० (केन्द्रांश 550.25 करोड़ रु० तथा राज्यांश 61.13 करोड़ रु०) की लागत से वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत 11.11 करोड़ रु० (केन्द्रांश 10.00 करोड़ रु० एवं राज्यांश 1.11 करोड़ रु०) का बजट आवंटन

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत 11.11 करोड़ रु० (केन्द्रांश 10.00 करोड़ रु० एवं राज्यांश 1.11 करोड़ रु०) रुपये को आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन कृषि विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 1693 दिनांक 30.03.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाए।

3. कुल आवंटित राशि में से 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्लू.एम.पी.) विपत्र कोड- P2402001020213, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंधित राशि 70.00 करोड़ रुपये से की जायेगी।

4. कुल आवंटित राशि में से 1.11 करोड़ (एक करोड़ ग्यार लाख) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या- 1, उपशीर्ष- 0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.) विपत्र कोड- P2402001020313, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंधित राशि 20.7321 करोड़ रुपये से की जायेगी।

5. राशि की निकासी भूमि संरक्षण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बी०टी०सी०-42 पर बिहार वाटर शेड डेवलपमेंट सोसाईटी (BWDS) से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के अनुसार की जायेगी। आवंटित राशि बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में दी जायेगी।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 6720 वि.(2) दिनांक 25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

6. आवंटन से अधिक राशि की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। इसके निमित्त सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

7. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी0भी0 नम्बर के साथ व्यय विवरणी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(15/3/15)
(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 284 (ओवरलैन्)

भूमि संरक्षण पटना दिनांक 31-03-2015

प्रति :- 1. महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(15/3/15)
संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 284 (ओवरलैन्)

भूमि संरक्षण पटना दिनांक 31-03-2015

प्रति :- 1. डा0 सी0पी0रेडडी, उपायुक्त (ज0वि0) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि बिहार के आप्त सचिव/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, BWDS/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभि.) भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/प्रभारी वित्त -सह- लेखा BWDS एवं लेखा शाखा मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. उप कृषि निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15/3/15)
संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

34-2015 (new)
2-11-15 (new)